कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री अभय सिंह यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायली, बानसूर जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मकोड जिला बांसवाडा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री अभय सिंह यादव द्वारा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय, जयपुर में एस. बी. सिविल याचिका संख्या 18432/2019 अभय सिंह यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 18432/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2019 द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण को श्री अभय सिंह यादव के प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करने और माननीय अधिकरण द्वारा 15 दिवस की अवधि में इनके प्रकरण में सुनवाई पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई। माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थी की अपील में माननीय अधिकरण द्वारा निर्णय पारित किये जाने तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किये जाने और उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अवपीडक कार्यवाही अमल में नहीं लाये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

श्री अभय सिंह यादव द्वारा विभाग के समक्ष माननीय अधिकरण के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई और अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि मकोड जिला बांसवाडा में प्रधानाचार्य के पद पर आज दिनांक तक कार्यग्रहण भी नहीं किया गया है। अतः श्री अभय सिंह यादव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकोड जिला बांसवाडा को आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्थानान्तरित स्थान पर 7 दिवस के भीतर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अभय सिंह/याचिका/18432/539/2019 दिनांकः 04.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर को पाबन्द किया जाता है कि वे श्री अभय सिंह यादव के स्थानान्तरित स्थान पर 7 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के प्राथमिक जांच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/बांसवाडा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री अभय सिंह यादव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि मकोड जिला बांसवाडा को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)